Registered under Madhya Pradesh Co-Operative Act. 1960 Registration No. 346/SHR/66

THE INSURANCE EMPLOYEES CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED , BHOPAL

Registered Office : LIC of India ,Divisional Office Campus,60-A Arera Hills,Jail Road Bhopal (M.P.)
Website : http://www.ieccsbhopal.org, E-mail: ieccsbhopal2015@gmail.com, Phone : 0755-2558388

परिपत्र क्रमांक–4 / 2015 दिनांक : 17.09.2015

सम्मानीय सदस्यगण,

सोसाइटी की 31 वीं विशेष आमसभा को सफल बनाने में आप सभी के सहयोग एवं सुझावों के लिए कार्यकारिणी आप सभी का आभार प्रदर्शन करती है। आम सभा पूर्व निर्धारित तिथि 13 सितम्बर 2015 को नियत समय 11.30 पर निर्धारित कोरम के साथ प्रारंभ हुई । आमसभा की सफलता कार्यकारिणी की कार्यप्रणाली एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर आपके विश्वास एवं समर्थन को प्रकट करती है।

आमसभा प्रतिवेदन में वर्ष 2010–11, से 2014–2015 तक की अवधि के लेखा विवरण की प्रस्तुति की गई जिसे सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। सभा में नवीन कार्यकारिणी द्वारा नवीन योजनाओं एवं क्रियाकलापों के संबंध में सदस्यों से खुलकर चर्चा की गई।

कार्यकारिणी एवं सदस्यों से प्राप्त प्रस्तावों व उनपर चर्चा के बाद निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव चर्चा व निर्णयः–

1 सदस्य की मृत्यु या सेवा निवृत्ति (बर्खास्तगी एवं वीआरएस) पर कार्यकारिणी के निर्णयानुसार देय राशि रू 50000 / – में से 25000 / – की नगद राशि मृत्यु होने की दशा में उनके परिवारजनों को शीघ्र संवेदना शोक–पत्र के साथ यह राशि दुखी परिजनों को प्रदान की जायेगी व शेष 25000 / – की राशि चेक के माध्यम से प्रदान किया जाना निर्णित किया गया है। इस राशि को समय पर पीड़ित परिवार तक पहुँचाने हेतु सभी शाखाओं से सोसाइटी के प्रतिनिधि को चुनकर यह कार्य पूर्ण किया जायेगा। सेवा निवृत्त सदस्य (बर्खास्तगी एवं वीआरएस) में आमसभा में प्राप्त सुझावों के आधार पर परिवर्तन करते हुए बर्खास्तगी को परिभाषित किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि वे सदस्य जो निर्धारित व्यवसाय पूर्ण न करने के कारण बर्खास्त होते है उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत इस राशि 50000 / – का भुगतान किया जाना सर्व सम्मति से निर्णित किया गया। यदि यह बर्खास्तगी किसी अन्य कारण से होती है तो किसी प्रकार का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।

2 सेवा निवृत्ति पश्चात् सदस्यताः– कार्यकारिणी के समक्ष सेवानिवृत्त सदस्यों को सदस्यता एवं उनके अनुभव के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें भी सोसाइटी की सदस्यता हेतु महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पर चर्चा पश्चात सदन द्वारा कार्यकारिणी को इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सेवानिवृत्त सदस्यों को सोसाइटी में सदस्यता के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया है।

3 जी.आई.सी के अन्य तीन संस्थानों हेतु सदस्यता:– वर्तमान में हमारी सोसायटी में जी.आई.सी की एक कंपनी दि ओरियंटल ईश्योरेंस कंपनी लिमि0 के सभी अधिकारी कर्मचारी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। किंतु युनाईटेड इंडिया, नेशनल इन्श्योरेंस, न्यू इंण्डिया इन्श्योंरेस के अधिकारियों/कर्मचारियों तक इस संबंध में सम्पर्क नहीं किया गया है। इस संबंध में आमसभा में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिस पर विचार पश्चात् आमसभा ने कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु अधिकृत किया गया।

4 स्वयं का भवन/सामुदायिक भवन/उपभोक्ता भण्डार योजना :– गत आमसभा में भी इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी। पुनः कार्यकारणी इस प्रस्तावों को स्वागत करती है व इस दिशा में वित्तीय स्थिति के आधार पर उचित निर्णय हेतु कृतसंकल्प है।

आम सभा में कार्यकारिणी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष रखे गये:–

1. एफडी एवं आरडी की सीमा में वृद्विः– वर्तमान में सदस्यों हेतु एफडी की सीमा 150000/वार्षिक–एवं आरडी की सीमा 10000/–प्रति माह निर्धारित है। सदस्यों द्वारा पूर्व में भी इन दोनों योजनाओं में राशि वृद्वि करने का अनुरोध किया जाता रहा है। दोनों ही योजनाओं के अन्तर्गत आयकर विभाग से संपर्क कर आय पर लगने वाले टेक्स के संबंध में जानकारी प्राप्त करने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु सभा द्वारा कार्यकारिणी को अधिकृत किया गया।

2. शेयर पूंजी में वृद्विः– वर्तमान में सोसाइटी की अंशपूंजी की सीमा 50,00,000/–(पचास लाख रूपये) निर्धारित है। किंतु सदस्यों के सहयोग से लगातार इस पूंजी में वृद्वि हो रही है। नियमानुसार इस मद में आवश्यक वृद्वि कर सूचना पंजीयक कार्यालय की ओर अनिवार्य होती है। कार्यकारिणी द्वारा इस मद में सीमा अधिकतम् 1,50,00,000/–(एक करोड पचास लाख रूपये) करने की अनुमति सभा से चाही गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

3. सामाजिक दायित्व :– सहकारिता का उद्देश्य सदस्यों एवं उनके परिवारजनों की आवश्यकताओं के साथ–साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी है। इस सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि वर्ष में अधिकतम 25,000/–(पच्चीस हजार) की राशि की सामग्री अथवा सहायता अनाथ/ मूक–बधिर/वृद्वाश्रम व मानसिक रोगियों के पुनर्वास व देखरेख करने वाली संस्थाओं को प्रदान की जाये ।आमसभा द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

आमसभा सार्थक प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण तथा उन पर निर्णय के साथ संम्पन्न हुई। आप सभी सम्मानीय सदस्यों के बीच समय–समय पर इन सभी प्रस्तावों व इन पर की गई कार्यवाही की समीक्षा प्रस्तुत की जाती रहेगी।

समस्त कार्यकारिणी की ओर से

अध्यक्ष

Registered under Madhya Pradesh Co-Operative Act. 1960 Registration No. 346/SHR/66

THE INSURANCE EMPLOYEES CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED , BHOPAL

Registered Office : LIC of India ,Divisional Office Campus,60-A Arera Hills,Jail Road Bhopal (M.P.)
Website : http://www.ieccsbhopal.org, E-mail: ieccsbhopal2015@gmail.com, Phone : 0755-2558388

परिपत्र /2016/5 दिनांक : 22.06.2016

सम्मानीय सदस्यगण,

आप सभी को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, कि दि. इन्श्योरेंस एम्प्लाईज क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी भोपाल आगामी दिनांक 10 अक्टूबर 2016 को अपने सफल 50 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। कार्यकारणी द्वारा इस वर्ष को गोल्डन जुबली ईयर के रूप में मनाए जाने को निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर हम अपने विभिन्न सामाजिक दायित्वों के साथ–साथ सदस्यों के हितलाभ, सुविधाओं एवं नवीन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए सदैव तत्पर हैं। वर्ष 2016 गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में किस प्रकार मनाया जाये, इस हेतु आप सभी के बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित हैं। सदस्यगण इन सुझावों को सोसायटी के मेल ieccsbhopal2015@gmail.com पर 18.07.2016 से पूर्व भेज सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कि अपने सुझाव सांस्कृतिक समागम को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत करें। 50 वीं वर्षगांठ पर सभी सदस्यों को गिफ्ट भी आवंटित किया जाना निर्धारित किया गया है इस सम्बन्ध में भी आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

नवीन कार्यकारिणी द्वारा कार्यभार ग्रहण किये लगभग 18 माह पूर्ण होने जा रहे हैं, इस अवधी में उप–पंजीयक सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011–2012 व 2012–2013 का अंकेक्षण समाप्त कर लिया गया है। इन दोनों वर्षों के अंकेक्षण में कोई भी गम्भीर आपत्ति अंकेक्षक महोदय द्वारा नहीं उठाई गई है।

सहकारिता नियमावली के आधार पर अंकेक्षण अवधि में अंकेक्षकों द्वारा निम्न परिवर्तन प्रस्तावित किये गए कार्यकारिणी द्वारा इन परिवर्तनों पर सहमति व्यक्त करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं–

1. सदस्यों द्वारा सी.डी. पर जमा राशि सदस्यता अवधी में पूर्ण या आंशिक रूप से आहरित की जाती है, तो इस राशि पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज देय होगा जो कि प्रतिमाह वेतन से कटौत्रा कर प्राप्त किया जायेगा। यह निर्णय 01.07.2016 के बाद से इस मद में प्राप्त सभी आवेदनों पर लागू होगा।
2. अंश पूंजी मद में प्रति सदस्य शेयर जमा राशि अधिकतम 20000 (बीस हजार) होगी। दिनांक 01.07.2016 के बाद से प्राप्त ऋण आवेदनों में से ऐसे सदस्य जिनके शेयर 20000 से अधिक हैं, के अंतर्गत शेयर रशि कटौत्री न करते हुए सम्पूर्ण ऋण का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

विगत 18 माह में आप सभी के सहयोग से सोसायटी की आय में निरंतर वृद्धि हुई है जो कि आप सभी के विश्वास को परिलक्षित करता है। नवीन कार्यकारिणी के क्रिया कलाप संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हैः–

1. माह जनवरी–2015 के बाद से कुल नवीन सदस्य संख्या : 53
2. माह जनवरी–2015 के बाद से कुल आवंटित ऋण संख्या : 505
3. माह जनवरी–2015 के बाद से कुल ऋण के रूप में आवंटित राशि : 4,04,44,010=00

4. माह जनवरी–2015 के बाद से रेमीटेंस में प्रतिमाह वृद्धि : 25%

माह जनवरी–2015 में संस्था द्वारा सदस्यों की मांग पर कन्ज्यूमर लोन प्रारम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत कुल 1,17,30000.00 की राशि आवंटित की जा चुकी है, इसमें कुल 76 सदस्य लाभान्वित हुए हैं जो कि ऋण योजनाओं के प्रति सदस्यों की प्रतिक्रिया एवं रुझान को दर्शाता है।

संस्था द्वारा एफ.डी./आर.डी. की राशि को सुरक्षित करने के लिए नवीन खाता खोला गया है जिसमें प्रतिमाह बचत की राशि स्थानांतरित की जा रही है।

मई 2016 से सदस्यों की विशेष मांग पर पूर्व से चल रहे दो ऋणों की राशि में वृद्धि की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

वर्तमान सीमा	वृद्धि राशि	नवीन सीमा	किस्तें	किस्त राशि प्रतिमाह
1. रेग्यूलर लोन 100000	150000	250000	100	3657
2. स्पेशल लोन 150000	150000	300000	150	3384

इस प्रकार कुल ऋण सीमा 8 लाख रू.

ऋण प्राप्ति हेतु नियमानुसार इच्छुक सदस्यों से ऋण आवेदन आमंत्रित हैं।

सोयायटी की वेबसाइट http://www.ieccsbhopal.org भी आरम्भ हो गई जिसमें आवश्यक जानकारियां एवं आंकड़े आप सभी की जानकारी के लिए लोड कर दिए गए हैं।

आप सभी के सुझावों की प्रतीक्षा व शुभकमानओं के साथ!

समस्त कार्यकारिणी की ओर से

अध्यक्ष

THE INSURANCE EMPLOYEES' CREDIT CO-OP. SOCIETY LTD. BHOPAL

(Regn.No. 346/SHR/66)

दिनांक : 31 दिसम्बर 2016

प्रिय सदस्यगण,

आप सभी को नव वर्ष 2017 की हार्दिक शुभकामनाऐं नूतन वर्ष आपके व आपके परीवारजनों के लिए हर्षोल्लास, सम्पन्नता, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षा लेकर आए। आईए नव–वर्ष में हम संकल्प लें, अपने नकारात्मक विचारों को त्यागकर एक–दूसरे के सुखःदुख बांटते हुए, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढें क्योंकि सकारात्मकता ही जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। वर्ष 2016 से हम सभी को अनेक खट्टी–मीठी यादें देकर गया। सभी यादों को संजोए आईए हम इस नूतन वर्ष का स्वागत करें। वर्ष 2016–17 को हम सोसायटी की स्वर्ण जयंती के रूप में मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी पूर्व कार्यकारिणी सदस्यों का आभार प्रदर्शन करते हैं, जिनके ठोस मार्गदर्शन से आज यह संस्था इस मुकाम पर खड़ी है। साथ ही हम उन सेवा निवृत्त सदस्यों का भी आभार प्रदर्शित करते हैं, जिनके अपार सहयोग से आज इस संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है।

वर्ष 2016 हमारी सोसायटी के विभिन्न क्रियाकलापों और योजनाओं से भरा–पूरा रहा। जहां एक और कार्यकारिणी द्वारा नवीन ऋण योजनाऐं लागू कर ऋण संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया, वहीं दूसरी विभिन्न क्रियाकलापों से सामाजिक दायित्व का निर्वाहन भी किया। सितम्बर 2016 में सम्पन्न आम सभा में सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों के क्रियान्वयन के लिए कार्यकारिणी लगातार योजनाऐं बनाकर इनको शीघ्र लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है एवं 2017 में सम्पन्न होने वाली आम सभा से पूर्व प्राप्त सभी प्रस्तावों पर ठोस निर्णय लेने के साथ इन्हें लागू करने के लिए भी कटिबद्ध है।

कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, कि 1 जनवरी 2017 से सावधी जमा योजना (फिक्स–डिपॉजिट स्कीम) के अंतर्गत जमा की सीमा में वृद्धि रूपये 5 लाख होगी। जिन सदस्यों की पूर्व से सावधी जमा है, वे शेष राशि को इस योजना में शामिल कर योजना का लाभ उठा सकते हैं, योजना में देय–ब्याज दर पूर्ववत ही रहेगी व आयकर विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन के साथ होगी। जमा राशि चेक के माध्यम से ही ली जाएगी एवं भुगतान नेफ्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। इसी प्रकार आवर्ति जमा योजना (रिकरिंग डिपॉजिट) की अधिकतम सीमा बीस हजार प्रति माह कर दी गयी है जिसके अंतर्गत भी ब्याज दरें व सेवा शर्तें उपरोक्तानुसार लागू होगीं।

आम सभा 2016 में सदस्यों की विशेष मांग पर पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन माह जनवरी 2017 में किया जा रहा है, जिसमें कार्यकारिणी की ओर से सभी का सपरिवार स्वागत है, इस समारोह में हमारे ही परिवारजन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। कार्यकारिणी बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है, कि शैक्षणिक वर्ष 2015–16 में जिन परिवारों के बालक–बालिकाओं ने किसी भी क्षेत्र में (शिक्षा–बोर्ड क्लासेस / खेलकूद (राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय / अन्य गतिविधियों में) गौरव हासिल किया है, वह उनका नाम 10 जनवरी 2017 से पूर्व मय दस्तावेजों के साथ सोसायटी कार्यालय में विवरण पत्र में भरकर जमा कर

सकते हैं। कार्यकारणी द्वारा योग्यता व उत्कृष्टता के आधार पर ऐसे बालक–बालिकाओं का चयन कर उनको इस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कार्यकारणी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है, कि प्रतिवर्ष माह सितम्बर में आयोजित की जाने वाली आम सभा में इस परंपरा को जारी रखा जाए।

1966–2016 तक 50 वर्ष का शानदार सफर सोसायटी द्वारा तय किया गया है। आप सभी को 50वीं वर्षगांठ पर दिए जाने वाले गिफ्ट का बेसब्री से इंतेजार है, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी द्वारा 01.01.2017 से रूपये 3000/– (तीन हजार मात्र) की राशि फिक्स डिपाजिट प्रमाण–पत्र सोसायटी की ओर से जारी किया जा रहा है, जो की 10 जनवरी से पूर्व आप सभी के हाथ में होगा।

आप सभी को जनवरी 2017 के पारिवारिक मिलन समारोह में कार्यकारिणी की ओर से पुनः आमंत्रण है, सभी इच्छुकों से अनुरोध है कि 10 जनवरी से पूर्व अपने व परिवारजनों के नाम कार्यक्रम विवरण के साथ सोसायटी कार्यालय अथवा कार्यकारिणी सदस्यों को प्रस्तुत करें पारिवारिक कार्यक्रम संबंधी स्थान/दिनांक/समय आप सभी को पृथक से सूचित किया जाएगा।

पुनः नव वर्ष की अनेक शुभकामनाओं के साथ।

समस्त कार्यकारणी की ओर से

अध्यक्ष

With Best Compliments

THE INSURANCE EMPLOYEES' CREDIT CO-OP. SOCIETY LTD. BHOPAL

Registered Office : LIC of India ,Divisional Office Campus,
60-A Arera Hills,Jail Road Bhopal (M.P.), **Phone :** 0755-2558388
Website : http://www.ieccsbhopal.org, **E-mail :** ieccsbhopal2015@gmail.com

Registered under Madhya Pradesh Co-Operative Act. 1960 Registration No. 346/SHR/66

THE INSURANCE EMPLOYEES CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED , BHOPAL

Registered Office : LIC of India ,Divisional Office Campus,60-A Arera Hills,Jail Road Bhopal (M.P.)
Website : http://www.ieccsbhopal.org, E-mail: ieccsbhopal2015@gmail.com, Phone : 0755-2558388

प्रिय सदस्य गण,

सर्वप्रथम हम हमारे द्वारा दो वरिष्ठ सदस्य श्री छबीले राम अहिरवार व श्री जयेन्द्र. सिंह ठाकुर के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते है ।

आप सभी के लगातार अपार सहयोग से साख संस्था लगातार अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ती के लिए अग्रसर हो रही है इसी कडी में संचालक मण्डल द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए है जिन्हें आपके समक्ष रखना आवश्यक होगाः–

1. माह सितम्बर में सोसायटी की आमसभा का आयोजन किया जाना है, हमें आशा है, गत आमसभा के समान इस आम सभा मे भी आप सभी उपस्थित होकर अपना बहुमूल्य मार्ग दर्शन व सुझााव कार्यकारणी को देगें, आम सभा की तिथि आगामी परिपत्र व व्यतिगत नोटिस के माध्यम से आप सभी को सूचित की जाएगी ।
2. बाजार में लगातार फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में हो रही कमी को देखते हुए कार्यकारणी द्वारा यह निर्णय लिया गया है ।

   (क) एक सितम्बर 2018 के बाद प्राप्त फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दर 9 प्रतिशत से घटा कर 8.5 प्रतिशत होगी ।

   (ख) एक सितम्बर 2018 से रिकरिंग डिपॉजिट ब्याज का ऑकलन अनुपातिक तौर पर 8.5 प्रतिशत की दर से किया जायेगा ।
3. कार्यकारिणी द्वारा सदस्यों की मांग पर तीन नए ऋण एक ही मद मे समावेशित कर आरम्भ किए जा रहे है, जिनकी नियम शर्ते निम्नानुसार होगी :–

   (क) शिक्षा ऋण / चिकित्सा ऋण / विवाह ऋण अधिकतम राशि 2.50 लाख

   (ख) किश्तों की संखाः– 60 किस्त

   (ग) ब्याज दर :– 11 प्रतिशत

   (घ) शर्ते :– तीनो ही मद मे कोई दस्तावेज / प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा ।
4. संस्था कार्यकारिणी द्वारा ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी से कॉरपोरेट एजेन्सी प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी, जो कि भविष्य मे सोसायटी के लिए अतिरिक्त आय का साधन होगा जिसमे आप सभी से सहयोग की अपेक्षा कार्य समिति करती है ।
5. सदस्यों को उनको आबंटित ऋण स्वीकृति, एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट की परिपक्वता के संदेश उपलब्ध मोबाइल नं. पर सभी सदस्यों को एस.एम.एस. के द्वारा प्रेषित की जाना आरंभ कर दिया गया है । सदस्यों से अनुरोध है की अपने मोबाइल नम्बर सोसायटी कार्यालय मे अपडेट करने का कष्ट करें ।
6. आम सभा में विगत वर्षो की तरह इस वर्ष 2017–18 मे भी विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धता प्राप्त सदस्यों के पुत्र / पुत्रियों का सम्मान किया जाऐगा । सभी सदस्यों से अनुरोध है उत्कृष्टता के आधार पर चयन हेतु अपने बच्चों के रिकार्ड निर्धारित प्रारूप मे भरकर 20.08.2018 से पूर्व प्रस्तुत करें ।

अध्यक्ष